

सामान्य प्रशासन विभाग
(संयुक्त सचिव कार्यालय)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 1013 / जी-829 / 2009 / 1-सूअप्र

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2009

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

28 JUL 2009

Secy SIC

Sub:- Disclosure of 'file noting' under the Right to Information Act, 2005.

-00-

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से Disclosure of 'file noting' under the Right to Information Act, 2005 के संबंध में प्राप्त कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 1/20/2009-आई.आर., दिनांक 23 जून 2009 की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(के.आर. मिश्रा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

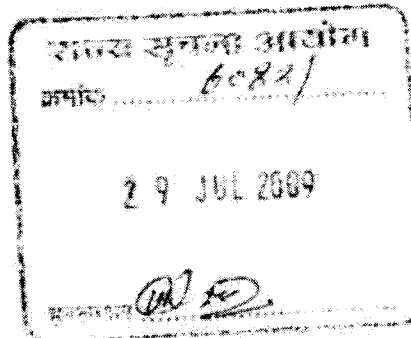
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रूक्रमांक / जी-829 / 2009 / 1-सूअप्र

रायपुर, दिनांक जुलाई, 2009

प्रतिलिपि :-

- (1) श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक 1/20/2009-आई.आर., दिनांक 23 जून 2009 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (2) सचिव, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सं. 1/20/2009-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

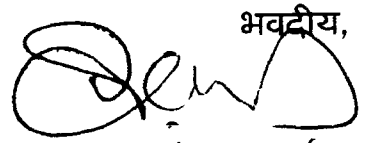
दिनांक 23 जून, 2009

कार्यालय जापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 'फाइल नोटिंग' का प्रकटन ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालय/विभाग आदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत फाइल नोटिंग के प्रकटन के बारे में स्पष्टीकरण मांगते रहे हैं । एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है ऐसी फाइल नोटिंग जिसमें अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना निहित है, को छोड़कर फाइल नोटिंग का प्रकटन किया जा सकता है ।

2. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

भवदीय,

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग ।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
6. सभी अधिकारी/डैस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।

प्रतिलिपि :- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।